तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स **गनपति बनाम राजस्थान सरकार वगैरा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 व 369 एल.आर. एक्ट नक्शा दुरस्ती बावत प्रस्तुत कर हाल बंदोबस्त के नवीन नक्शा ट्रेस के मुताबिक नवीन नक्शा में तरमीम किया जावे अर्थात् प्रार्थी के ख.नं. हाल 1451/0.2400 व ख.नं. 1450/0.0900 एयर बाके ग्राम हिंगौटा खेत की मेढ की बीच की मेढ को नवीन नक्शा ट्रेस में अंकित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 2 हाजिर अदालत नही होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी 2 तहसीलदार बसेड़ी हाजिर अदालत उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया कि बाके ग्राम हिंगौटा के नक्शा शीट में आराजी ख.नं. 1450 व 1451 के मध्य नुकीले भाग में स्थित था। जो सही था। ग्राम हिगोटा से गत वर्ष राजस्व ग्राम मढ़ हिगोटा का गढ़न हुआ। जिसमें ख.न. 1449, 1450, 1451 भी चले गये। लेकिन दोनो ग्राम (गत और नवीन) का नक्शा प्रथक करने पर आराजी खसरा न. 1450 मूल गांव हिगोटा में जा रहा था। जो सही नही था। इसकी वजह से दोनों गांव के नक्शे प्रथक नही हा पा रहे थे। तत्समय ही उक्त दोनों नक्शों को सही कर लॉक करने हेतु समस्या आने पर तहसीलदार बसेड़ी के पत्रांक/एल.आर./2023/2305 दिनांक 28.08.2023 से सेग्रीगेसन में हुई नम्बर की गलती को शुद्ध करने बावत आदेश प्रदान कर दोनों गांव के नक्शों को लॉक करने हेतु निर्देशित किया था। अतः नवीन राजस्व ग्राम बनाते समय उक्त खसरा नम्बर 1450 की शुद्धि पूर्व में हो चुकी है। हमने वकील प्रार्थी की सुनी एवं तहसीलदार बसेड़ी के जबाव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नक्शा शुद्धि का निवेदन किया है। जिसकी शुद्धि तहसीलदार बसेड़ी ने पूर्व में ही नवीन राजस्व ग्राम बनाते समय कर दी है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	